रामपाल v/s राइ

2017/cc 332

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/01/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/01/24 को पेश हो।
	30/1/24	पत्रावली [illegible] 5/3/24
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/5/24 को पेश हो।
	6/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अदालत प्रार्थी व अनावेदक अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई अब और से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी का प्रार्थना अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेज्ल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)